FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector

Jodhpur

No. : 3191 Dated : 30/05/2019

:: TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN :(Revised)

Ref : This office letter No. 3585 dated 07.09.2018

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF). Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Right), 2006 (FRA'for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.3291 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Jodhpur Development Authority, Jodhpur agency for Road in Jodhpur district falls within jurisdiction of Jodhpur village(s) in Jodhpur tehsil.

It is further certified that

(A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3291 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee (s) Gram Sabha(s), sub-Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure I to III annexure pages 7.

(B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under action 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(C) The proposal does not involve recognized right of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

(Prakash Rajpurohit)
IAS
District collector
Jodhpur

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण

बैठक कार्यवाही

जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

1. रोप–वे प्रोजेक्ट सिद्धनाथ मन्दिर, कायालाना रोड़ ग्राम गैवां तहसील जोधपुर के खसरा नं. 886, 867, रकबा 0.9691 हेक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के नाम दर्ज हैं का उपयोग करते हुए पेसेन्जर रोप–वे स्थापित किया जाना हैं।

2. कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड विवेक विहार को मुख्य पाली रोड़ जोधपुर से जोड़ने के संबंध में वन विभाग (आफरी) की 0.329 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक हितार्थ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तानान्तरित किया जाना है।

3. दिनांक 2/5/2018 समय 4.00 pm बैठक, में निम्नांकित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग का नाम	मेबाईल नं.	हस्ताक्षर
1.	रघुमणि राम IFS	DFO, Jodhpur	Forest Dept.	9414282452	[signature]
2.	नरेन्द्रसिंह शेखावत	ACF	Forest Deptt	9414287551	[signature]
3	बेगा राम जाट	Dy CF	AFRI Jodhpur	9414327122	[signature]
4.	महीपाल कुमार	ADM City 2	Coll. Jod.	9784324668	[signature]
5.	M. K. Mathur	SE	JDA	9799042132	[signature]
6.	G. P. S. Chauhan	EE(South)	JDA	9799042101	[signature]
7	Kailash Khandelwal	Director	Roll Innovation (PIU)	941400797	[signature]
8.	महेन्द्र प्रकाश व्यास	अधि.अभि.(N)	J.DA	9799042127	[signature]
9	Arun K Purohit	Sec.	JDA	9828251345	[signature]
10.	प्रदीप के. गावंडे	CEO	ZP	7726922867	[signature]

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर –342001

क्रमांक :– 1264
10/8/18

दिनांक :– 10/8/18

—:: बैठक कार्यवाही विवरण ::—

कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड व विवेक विहार योजना को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पाली मुख्य रोड़ से जोड़ने के संबंध में जिला स्तरीय बैठक

ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी की बैठक दिनांक 21.10.2016 में प्रस्ताव 5 के जरिये कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड व विवेक विहार योजना जाने वाली मुख्य सडक को मुख्य पाली रोड़ से जोड़ने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग की 0.329 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक हितार्थ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों / कर्तव्यों के निवर्हन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जानी है।

प्राधिकरण के पत्रांक अधि.अभि. पश्चिम / 2018 / 735 दिनाक 01.05.2018 के जरिये जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 02.05.18 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री प्रदीप के. गावंडे	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जोधपुर
2.	श्री अरूण पुरोहित	सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3..	श्री महीपाल कुमार	ए.डी.एम. शहर जोधपुर।
4.	श्री हनुमानराम	डी.एफ.ओ. वन विभाग जोधपुर।
5.	श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत	ए.सी.एफ. वन विभाग जोधपुर।
6.	श्री बेगाराम जाट	डी.सी.एफ. आफरी जोधपुर।
7.	श्री एम.के. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर
8.	श्री महेन्द्र प्रकाश व्यास	अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री जी.पी.एस. चौहान	अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री कैलाश खडेलवाल	निर्देशक, मैसर्स रॉक इनोवेशन प्रा. लि. जयपुर

ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.10.2016 के प्रस्ताव संख्या 05 में कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड व विवेक विहार योजना को जोड़ने वाली कुड़ी भगतासनी से मुख्य पाली रोड तक वन विभाग तथा मण्डल के अधीन भूमि में से सुगम रास्ता दिलवाने के संबंध में [illegible]

र्श किया गया। वर्तमान में जा रास्ता कुड़ी भगतासनी को पाली रोड़ से जोड़ता है ... कड़ा व अत्यन्त ही घुमावदार है जिससे आमजन को असुविधाएं हो रही है व दुर्घटनाएं होने तथा जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। उक्त भूमि ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 685/13 पटवार मण्डल जोधपुररकवा 37 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–4 आफरी के नाम दर्ज है। जिसमें से उक्त सुगम रास्ता चाहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ते से करणी नगर कॉलोनी, राजीव नगर, महावीर कॉलोनी,मधुबन हाऊसिंग बोर्ड, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड के समस्त सेक्टर एवं आस–पास के सभी कॉलोनियों के लगभग 18–20 हजार मकानों के लगभग 50 हजार की आबादी लाभांवित होगी। वन विभाग की उक्त भूमि खसरा नं. 685/13 का वर्तमान में अनुसूचित जाति/अन्य परंपरागत वन निवासी द्वारा वर्तमान में खेती, आवास या अन्य किसी प्रकार की आजीविका के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तथा ना ही किसी अनुसूचित जन जाति व आदिम वन वासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये है। अतः सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुड़ी भगतासनी के उक्त खसरा नं. 685/13 में से 0.329 हैक्टेयर भूमि गैर वन उद्धेश्य हेतु विपथन/प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सचिव 10.8.18
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– 1264 – 65

दिनांक :– 10/8/1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद, जोधपुर
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर–द्वितीय, जोधपुर
4. निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. जिला वन अधिकारी, वन विभाग जोधपुर
6. उप वन सरंक्षक, आफरी जोधपुर
7. अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही करावें।

सचिव 10.8.18
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

–:: बैठक कार्यवाही विवरण::–

ग्राम कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड व विवेक विहार योजना को जोड़ने वाली कुडी से पाली मुख्य रोड़ से जोड़ने के सम्बंधं में उपखण्ड स्तरीय बैठक

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के पत्रांकः राजस्व/विविध/17/4637 दिनांक 08.09.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी की बैठक 21.10.2016 के प्रस्ताव 5 कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड विवेक विहार को मुख्य पाली रोड़ से जोड़ने के संबधं कुड़ी भगतासनी ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग की **0.329 हैक्टर** भूमि सार्वजनिक हितार्थ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुरूप हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बंधं में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निवर्हन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 29.12.2017 को आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री रोहित कुमार **(आर.ए.एस.)**	उपखण्ड अधिकारी जोधपुर
2. श्री गजेन्द्र पाल सिंह चौहान,	अधि.अभि. जेडीए जोधपुर।
3. श्री भीखाराम पूनिया,	सहा. वन संरक्षक, वन विभाग जोधपुर।
4. श्री अनिल भाटिया,	नायब तहसीलदार जोधपुर।
5. श्री गिरधारीराम	प्रतिनिधि बीडीओ लूणी।
6. श्री देवीसिंह सिंसोदिया,	सरपंच ग्रा.प. कुड़ी भगतासनी
7. श्री गिरवरसिंह शेखावत,	प.स. सदस्य वार्ड नं. 23
8. श्री गंगाराम भील,	प.स. सदस्य अनु.जनजाति वार्ड नं. 23
9. श्री जरूपाराम धायल	जिला परिषद सदस्य।

पंचायत बैठक दिनांक 21.10.2016 के प्रस्ताव संख्या 05 में कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड व विवेक विहार योजना को जोड़ने वाली कुड़ी भगतासनी से मुख्य पाली रोड़ तक वन विभाग तथा मण्डल के अधीन भूमि में से सुगम रास्ता दिलवाने के सम्बंधं में विचार विमर्श किया गया। वर्तमान में जो रास्ता कुड़ी भगतासनी को पाली रोड़ से जोड़ता है वह संकड़ा व अत्यन्त ही घुमावदार है जिससे आमजन को असुविधाएं हो रही है व दुर्घटनाएं होने तथा

जनहानि होने की सम्भांवना बनी रहती है। उक्त भूमि ग्राम जोधपुर के खेसरा नं. 685/13 पटवार मण्डल जोधपुर रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–4 आफरी के नाम दर्ज है। जिसमें से उक्त सुगम रास्ता चाहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ते से करणी नगर कॉलोनी, राजीव नगर, महावीर कॉलोनी, मधुबन हाऊसिंग बोर्ड, कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड के समस्त सेक्टर एवं आस–पास के सभी कॉलोनियों के लगभग 18–20 हजार मकानो के लगभग 50 हजार की आबादी लाभांवित होगी। वन विभाग की उक्त भूमि खसरा नं. 685/13 का वर्तमान में अनुसूचित जाति/अन्य परम्पारागत वन निवासी द्वारा वर्तमान में खेती, आवास या अन्य किसी प्रकार की आजीविका के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तथा ना ही किसी अनुसूचित जन जाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त किये गये है। अतः सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुड़ी भगतासनी के उक्त खसरा नम्बर 685/13 में से 0.329 हैक्टेयर भूमि गैर वन उद्वदेश्य हेतु विपथन/प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर	अभिशाषी अभियन्ता सचिव जेडीए प्रतिनिधि जोधपुर।	सहायक वन संरक्षक वन विभाग, जोधपुर
तहसीलदार जोधपुर	विकास अधिकारी लूणी, जोधपुर प्रतिनिधि	सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी जोधपुर
श्री गिरवरसिंह शेखावत प.स. सदस्य वार्ड नं. 20	श्री गंगाराम भील प.स. सदस्य अनु जनजाति वार्ड 23	श्री जयरूपराम धायल जिला परिषद सदस्य

क्रमांक :– राजस्व/बैठक/2017/ 794 दिनांक :29 दिसम्बर, 2017

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को मूल ही बैठक कार्यवाही विवरण मय उपस्थिति अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी

पंचायत समिति लूणी (जोधपुर) राज.

देवीसिंह सिसोदिया
सरपंच

मो. नं. : 9214574522

क्रमांक 515

दिनांक 21/10/2016

प्रस्ताव की खण्ड प्रतिलिपि

xxx

पंचायत बैठक दिनांक 21/10/2016 के प्रस्ताव संख्या 05 की खण्ड प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या - 05 :- कुड़ी भगतासनी से पाली रोड मुख्य तक रास्ता दिलवाने बाबत -

आज इस बैठक में अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में कुड़ी भगतासनी से पाली रोड मुख्य सड़क तक सीधे रास्ते की अति आवश्यकता है वर्तमान में जो मार्ग कुड़ी भगतासनी को जोड़ता है वो अत्यन्त ही संकड़ा एवं तेज घुमावदार है जिससे निम्न लिखित असुविधाए हो रही है।

(a) वर्तमान मार्ग तेज घुमावदार एवं संकड़ा होने से आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती है जिससे जानमाल की हानि भी होती है।

(b) वर्तमान मार्ग संकड़ा होने से यहां यातायात का भारी दबाव है जिससे यातायात बाधित होता है।

(c) वर्तमान मार्ग लम्बा व घुमावदार होने से आमजन को मुख्य मार्ग पाली रोड पर आने मे असुविधा होती है विशेषकर रात्री के समय अत्यधिक परेशानी होती है।

(d) मार्ग घुमावदार व संकडा होने से सडक मार्ग से प्रभावित होने वाली करणी विहार कॉलोनी, राजीव नगर, महावीर कॉलोनी, मधुबन हाऊसिंग बोर्ड, कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड के समस्त सेक्टर एवं आस-पास की सभी कॉलोनिया के लगभग 18-20 हजार मकानो की लगभग 50 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है। उक्त सभी कॉलोनिया को इस मार्ग का लाभ मिलेगा।

(2) वर्तमान सडक मार्ग पर यातायात का भारी दबाव है जो जोधपुर विकास प्राधिकरण की विवेक विहार योजना एवं कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड के सेक्टर 08-09 के विकसित होने के बाद इस सडक मार्ग पर यातायात दबाव दुगने से ज्यादा हो जायेगा। इस कारण इस सड़क मार्ग को सुगम एवं सीधा जोड़ना अति आवश्यक है।

— लगातार —

ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी

पंचायत समिति लूणी (जोधपुर) राज.

देवीसिंह सिसोदिया
सरपंच

मो. नं. : 9214574522

क्रमांक

दिनांक 21/10/2016

(3) वर्तमान मार्ग को सीधे सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के पश्चात मार्ग सीधा एवं सुगम हो जायेगा जिससे दुर्घटना की संभावनाये कम होगी

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग के लिए वन भूमि (आफरी के अधीन) व मण्डल कार्यालय के अधिन भूमि है। इसमे से उक्त मार्ग निकलवाना अति आवश्यक है।

अतः इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया तथा प्रस्तावित मार्ग जोधपुर विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण कर करवाता है तो इस कार्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। अतः उक्त प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी जोधपुर लिखा जावे।

Devisingh

सरपंच
ग्राम पंचायत, कुड़ी भगता
प. लूणी (जोधपुर)

ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी जोधपुर

पंचायत समिति, लूणी

देवीसिंह सिसोदिया
सरपंच

मो. 9214574522

क्रमांक ग्रा.पं.कुड़ी/प्रस्ताव/2019/SPL-01

दिनांक 20/06/19

बैठक कार्यवाही विवरण

ग्राम कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से पाली मैन रोड़ को जोड़ने बाबत् ग्राम पंचायत स्तरीय मिटिंग।

ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.10.2016 के प्रस्ताव संख्या 5 में कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से मुख्य पाली रोड़ तक वन विभाग की भूमि में से सुगम रास्ता दिलाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया गया था। उक्त प्रस्ताव के अनुसार आज दिनांक 20.06.2019 को ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न निर्णय लिया गया--

कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड से मुख्य पाली रोड़ को जोड़ने के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक हितार्थ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप हस्तानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं करते हैं एवं न ही किसी प्रकार की आजीविका के लिए उपयोग में ली जाती है। अतः सार्वजनिक हितार्थ कुड़ी भगतासनी के उक्त खसरा नं. 685/13 में से 0.3291 हैक्टेयर भूमि गैर वन उद्देशीय हेतु प्रत्यावर्तन करने का प्रस्ताव सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

... Bishnoi
... Development Officer,
... Panchayat Kudi Bhagtasani
P.S. Luni, Jodhpur

देवीसिंह सिसोदिया
सरपंच
ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी

सत्यनारायण
उप सरपंच

मदनलाल
वार्ड पंच

दुर्गा सिंह
वार्ड पंच

महेन्द्र सिंह
वार्ड पंच

हरिशचंद
वार्ड पंच